फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

न्यायालय ACM आमेर जयपुर

संख्या 94/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
12/1/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। बहस कुर्सीनामा सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 19/01/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
19/01/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। कोई आपत्ति नहीं है अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्सीनामा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 94/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक : 23.06.2025

1. कालूराम पुत्र स्व० श्री हीरालाल, जाति–अहीर,
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व० श्री हीरालाल
3. प्रभू नारायण पुत्र स्व० श्री हीरालाल,
निवासीयान–ग्राम–नाहरी का बास, हाथोज कालवाड़ रोड़, जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. सुभाष कुमार पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप
3 सोहन कुमार पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप
समस्त निवासी ग्राम–नारदपुरा, हल्का पटवार खन्नीपुरा, तहसील–जालसू, जिला जयपुर जयपुर (राज०)।
4. तहसीलदार जयपुर तहसील कार्यालय–जालसू, जिला–जयपुर (ग्रामीण)
5. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थिति :– (1) श्री रवि चौधरी – वादी की ओर से
(2) श्री दिनेश शर्मा – प्रतिवादी की ओर से

निर्णय दिनांकः– 19.01.2026

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी संख्या 1 व वादीगण की माताजी श्रीमती जमना देवी के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय की गई थी तथा वादीगण की माताजी श्रीमती जमना देवी का स्वर्गवास दिनांक 21.10.2021 को हो चुका है, जिसके पश्चात् वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खोला गया। जो राजस्व विभाग की जमाबंदी के अनुसार वादीगण अपने–अपने हक व हिस्से के खातेदार–काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की संख्या 138 नया खाता संख्या–19 खसरा नम्बर 294 रकबा 2.[illegible]00 [illegible]र है। इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खातेदारा[illegible] खाता [illegible]या 34 व नया खाता संख्यचा 37 की स्थित है एवं इसी प्रकार वादीग[illegible] 1 ता 3 के खातेदारान की पुराना खाता संख्या 36 व नया खाता संख्यचा 20 की आराजियात / भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.0900 हेक्टयर, खसरा नंबर–293 रकबा 0.0100 हैक्टयर एवं खसरा नंबर–295 रकबा 0.6100 हैक्टयर की भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा राजस्व विभाग की जमाबंदी के अनुसार निहित है, जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजियात इस वादपत्र में विवादित है, जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। 3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मन में बेईमानी आने के कारण वादीगण की कयशुदा व खातेदारी की आराजियात पर कब्जा करने पर आमादा है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उनके परिवारजन आये दिन वादीगण से सीमाओं को लेकर लड़ाई–झगड़ा करते है। जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई हक व अधिकार नहीं है। दिनांक 18.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एकराय होकर वादीगण की उक्त खरीदशुदा तथा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर दीगर व्यक्तियों के साथ आये और वादीगण की सीमाओं में अंदर घुसकर नाप–जोख करने लगे, जिसकी जानकारी होने पर वादीगण मौके पर गये तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उनके साथ आये व्यक्तियों से मना किया कि उक्त जमीन पर वादीगण कय करने की दिनांक से काबिज काश्त है तथा राजस्व विभाग की जमाबंदी के अनुसार हक व हिस्सा निहित है। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आग–बबूला हो गया व वादीगण के साथ आमादा–फसाद हो गये, जिस पर हो हल्ला होने पर उस समय तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उनके साथ आये हुए व्यक्ति चले गये, परंतु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादीगण को धमकी दी कि वे शीघ्र ही उक्त जमीन को विक्रय, हस्तांतरण करके रहेंगे। जिस पर वादीगण संख्याबल में कम होने की वजह से चुप रहे। जबकि वादीगण उक्त कयशुदा भूमि के खातेदार–काश्तकार है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के उक्त कृत्यों से हैरान–परेशान होकर वादीगण ने सीमाज्ञान की कार्यवाही भी न्यायालय में प्रारम्भ की है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पुनः दिनांक 01.06.2025 को कुछ दीगर व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त आरायाजित आये और उपरोक्त आराजियात को विकय करने के लिए दिखाने लगे, दीगर व्यक्तियों से बातचीत करने व वादीगण की खरीदशुदा व कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि में सीमाओं के अंदर तक नाप–जोक करने लगे, जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण व उनके परिवार ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उनके साथ आये व्यक्तियों को मना किया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 उक्त जमीन का सीमाज्ञान एवं विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन व तकासमा होने तक कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने उक्त कृषि भूमि का विधिवत सीमाज्ञान एवं विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन व तकासमा कराने से मना कर दिया, वादी[illegible] खरीदशुदा व कब्जे–काश्त एवं खातेदारी की भूमि में अपनी भूमि बता[illegible] आराजियात का विधिवत सीमाज्ञान एवं विधिवत बाई मिट्स एण्ड [illegible] व तकासमा कराये बगैर दीगर व्यक्तियों को बेचान, हस्तानान्तरण करने हेतु वादी[illegible] व उनके परिवार को धमकी दी है तथा वादीगण व उनके परिवार के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को उक्त कृषि भूमि के बेचान, हस्तान्तरण करने से मना करने, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के प्रवेश न करने व वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने के लिए व सीमाज्ञान एवं विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन व विभाजन करवाने की कहने पर व निवेदन करने पर प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:42 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 ता 3 ने उक्त आराजियात की सीमाज्ञान एवं विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन व तकासमा करवाये बगैर ही बेचान, हस्तातरण करने की धमकी दी व वादीगण की खातेदारी व कब्जे एवं खेती–काश्त को लेकर वादीगण व उनके परिवार के साथ में झगड़ा फसाद करने पर आमादा हो गये, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादीगण को दीगर व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके बेदखल करने पर आमादा हो गये तथा उक्त विवादित आराजियात का विधिवत् सीमाज्ञान एवं विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन व तकासमा करवाने से स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया व उक्त विवादित आराजियात का आज दिन तक विधिवत सीमाज्ञान एवं विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन व तकासमा नहीं हुआ है और प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादीगण के बीच सीमाओं व क्षेत्रफल को लेकर ही आये दिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादीगण व उनके परिवार में विवाद होता रहता है। जिस पर वादीगण ने स्थायी निषेधाज्ञा का वाद राजस्व माननीय न्यायालय में पेश किया। जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादीगण से और ज्यादा रंजिश रखने रखने लगे और दिनांक 15.06. 2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 दीगर व्यक्तियों को साथ लेकर आये तथा जबरन उक्त विवादित आराजियात का तकासमा एवं विधिवत सीमाज्ञान तथा विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन व तकासमा कराये बगैर ही बेचान, हस्तांतरण करने पर आमादा हो गये। इस कारण वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त विवादित आराजियात में सबका जमाबंदी के हिस्सेनुसार अपना–अपना हिस्सा है तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ता को कहा कि सब सह–खातेदारान है। इसलिए बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा करवा लिया जावे। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आग–बबूला हो गये और उक्त विवादित आराजियात का विधिवत् तकासमा कराने से साफ इंकार कर दिया। इस कारण वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिए पाबंद करवाये कि विवादित आराजियात ग्राम–नारदपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू.अभि. नि.क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील–जालसू, जिला जयपुर में स्थित है पुराना खाता संख्या 138 नया खाता संख्या–19 खसरा नम्बर–294 रकबा 2.8400 हैक्टर है। इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खातेदारान की पुराना खाता संख्या 34 व नया खाता संख्या 37 की आराजियात/भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 0.8700 हैक्टयर की भूमि स्थित है एवं इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खातेदारान की पुराना खाता संख्या 36 व नया खाता संख्यचा 20 की आराजियात/भूमि खसरा नम्बर–292 रकबा 0. 0900 हैक्टयर, खसरा नंबर–293 रकबा 0. 0100 हैक्टयर एवं खसरा नंबर–295 रकबा 0.6100 हैक्टयर की भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा राजस्व विभाग की जमाबंदी के अनुसार निहित है, राजस्व रिकॉर्ड व मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:42 IST
Reason: SelfAttested

की यथास्थिति बनाये रखें, ऐसा ना तो प्रतिवादी संख्या 1 ता स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, कर्मकारी आदि से करावें तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजियात ग्राम–नारदपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू. अभि. नि.क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील–जालसू, जिला जयपुर में स्थित है पुराना खाता संख्या 138 नया खाता संख्या–19 खसरा नम्बर–294 रकबा 2.8400 हैक्टर है। इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खातेदारान की पुराना खाता संख्या 34 व नया खाता संख्यचा 37 की आराजियात/भूमि खसरा नम्बर–299 रकबा 0.8700 हैक्टयर की भूमि स्थित है एवं इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के ख़ातेदारान की पुराना खाता संख्या 36 व नया खाता संख्यचा 20 की आराजियात/भूमि खसरा नम्बर–292 रकबा 0.0900 हैक्टयर, खसरा नंबर–293 रकबा 0.0100 हैक्टयर एवं खसरा नंबर–295 रकबा 0.6100 हैक्टयर की भूमि स्थित है, जिसमे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा राजस्व विभाग की जमाबंदी के अनुसार निहित है, विवादित आराजियात व उसके किसी भाग एवं अंश का मान्य न्यायालय के आदेश के बगैर राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, विकय पत्र का पंजीयन नहीं करें, ना ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, वादकारण सर्वप्रथम दिनांक 18.05.2025 को जब उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादग्रस्त क्षि भूमि को बेचान, हंस्तारण करने व भू–माफियाओं को विक्रय कर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी व उसके पश्चात दिनांक 01.06.2025 को वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को उक्त वादग्रस्त संपत्ति पर जब तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन, तकासमा, सीमाज्ञान नहीं हो, तब तक बेचान व हस्तांरण नहीं करने के लिए, बेदखल नहीं करने के लिएं कहने पर व उसके पश्चात दिनांक 15.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उनके साथियों के द्वारा जबरन काब्जा करने का प्रयास करने पर वादीगण के द्वारा मना किये जाने से एवं निवेदन करने पर एवं विधिवत रूप से सीमाज्ञान, तकासमा कराने के लिए कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने साफ इंकार कर दिया से वादकारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है। अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध शालिम डिकी किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जवाब दावे का अवसर बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:42 IST
Reason: SelfAttested

वादी की बहस सुनी गई। वाद पत्र में बताये गये कथनो एवं दस्तावेजो जवाब दावे, अनुसार वाद उभयपक्ष विभाजन .... खेत पर पहुंचने हेतु सुगम रास्ता प्रदान करते हुए, बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार जालसू जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वाके ग्राम–नारदपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू.अभि. नि.क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील–जालसू, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.0900 हेक्टयर, खसरा नंबर–293 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नंबर–294 रकबा 2.8400 हैक्टयर, खसरा नंबर–295 रकबा 0.6100 हैक्टयर , खसरा नंबर–299 रकबा

सहायक कलक्टर

0.6700 हैक्टयर का राज. टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना कर जमाबंदी में समान हिस्सेनुसारबाई उभयपक्ष को नोटिस देकर विभाजन कुर्रजात तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतू आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू जयपुर को कुर्रजात हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/5535 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा कुर्रजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी की कुर्रजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रजात पर कोई आपत्ति नहीं की। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. कालूराम पुत्र हीरालाल हि. 1/5 नि० ग्राम नारी का बास, कालवाड रोड तहसील व जिला जयपुर, कालूराम जगदीश प्रसाद प्रभुनारायण पि. हीरालाल हिं. 3/5 जाति अहीर (यादव) ग्राम नारी का बास, कालवाड रोड तहसील व जिला जयपुर, सुभाष कुमार सुरेन्द्र कुमार सोहन कुमार पि० रामस्वरूप हि० 1/5 जाति बड़वा सा–देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 293 रकबा 0.01 है. भूमि रहेगी।
2. आरएलडी कंट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन एलएलपी हि० पूर्ण पता प्लाट न. 7/एच/4–29 सेक्टर–7 कपुर हास्पिटल के सामने विद्याधर नगर जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 295 रकबा 0.6100 है., 299/4 रकबा 0.2175 है., 294/3 रकबा 0.0980 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9255 है. भूमि रहेगी।
3. कालूराम पुत्र हीरालाल हि० पूर्ण नि: ग्राम नारी का बास हाथोज कालवाड रोड तह, जिला जयपुर खातेदार जाति अहीर (यादव) के हिस्से खसरा नंबर 294/4 रकबा 1.4160 है., 299/3 रकबा 0.2175 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.6335 है. भूमि रहेगी।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम नारी का बास, जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 292/2 रकबा 0.0480 है., 294/2 रकबा 0.6600 है., 299/2 रकबा 0.2175 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9255 है. भूमि रहेगी।
5. प्रभुनारायण पुत्र हीरालाल हि० पूर्ण जाति अहीर (यादव) ग्राम नारी का वास तह. जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 292/1 रकबा 0.0420 है., 294/1 रकबा 0.6660 है., 299/1 रकबा 0.2175 है. कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू जयपुर से प्राप्त कुर्रजात [illegible] एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू, जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 94/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक : 23.06.2025

1. कालूराम पुत्र स्व० श्री हीरालाल, जाति–अहीर,
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व० श्री हीरालाल
3. प्रभू नारायण पुत्र स्व० श्री हीरालाल,

निवासीयान–ग्राम–नाहरी का बास, हाथोज कालवाड़ रोड़, जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. सुभाष कुमार पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रामस्वरूप
3. सोहन कुमार पुत्र स्व० श्री रामस्वरूप

समस्त निवासी ग्राम–नारदपुरा, हल्का पटवार खन्नीपुरा, तहसील–जालसू, जिला जयपुर जयपुर (राज०)।

4. तहसीलदार जयपुर तहसील कार्यालय–जालसू, जिला–जयपुर (ग्रामीण)
5. राजस्थान सरकार ज़रिये जिलाधीश, जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. कालूराम पुत्र हीरालाल हि. 1/5 नि० ग्राम नारी का बास, कालवाड रोड तहसील व जिला जयपुर, कालूराम जगदीश प्रसाद प्रभुनारायण पि. हीरालाल हिं. 3/5 जाति अहीर (यादव) ग्राम नारी का बास, कालवाड रोड तहसील व जिला जयपुर, सुभाष कुमार सुरेन्द्र कुमार सोहन कुमार पि० रामस्वरूप हि० 1/5 जाति बड़वा सा–देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 293 रकबा 0.01 है. भूमि रहेगी।
2. आरएलडी कंट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन एलएलपी हि० पूर्ण पता प्लाट न. 7/एच/4–29 सेक्टर–7 कपुर हास्पिटल के सामने विद्याधर नगर जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 295 रकबा 0.6100 है., 299/4 रकबा 0.2175 है., 294/3 रकबा 0.0980 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9255 है. भूमि रहेगी।
3. कालूराम पुत्र हीरालाल हि० पूर्ण नि. ग्राम [illegible] कालवाड रोड तह, जिला जयपुर खातेदार जाति अहीर (यादव) के [illegible] नंबर 294/4 रकबा 1.4160 है., 299/3 रकबा 0.2175 है. कुल किता 2 कुल रकबा [illegible]335 है. भूमि रहेगी।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम नारी का बास, जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 292/2 रकबा 0.0480 है., 294/2 रकबा 0.6600 है., 299/2 रकबा 0.2175 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9255 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी
ग्रामेन्द्र म. जयपुर

प्रकरण संख्या – 94 / 2025
वउनवानी – कालूराम बनाम सुभाष कुमार वगै0
निर्णय दिनांक-:– 19.01.2026

5. प्रभुनारायण पुत्र हीरालाल हि० पूर्ण जाति अहीर (यादव) ग्राम नारी का वास तह, जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 292 / 1 रकबा 0.0420 है., 294 / 1 रकबा 0.6660 है., 299 / 1 रकबा 0.2175 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9255 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 19.01.2026 को जारी किया।

दस्तखत----
ओहदा----

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:42 IST
Reason: SelfAttested